

6/4/23

पत्रावली प्रेषण वकील पार्थी उपस्थित
पत्रावली में अपार्थी से. 01 व 02
से जवाब प्राप्त सिने शा. जा. किया
गया।

वकील पार्थी ने निर्दिष्ट क्रिया की
पार्थी की खातेपारी एक की कृषि भूमि
खसरा से. 575 ग्राम धामसरा में है
व उक्त कृषि भूमि में अपार्थी से.
01 के अधिपारी। इसके पार द्वारा उसकी
भूमि पर अधिग्रहण कर कांटे की बाड़
की 20 फीट भीतर खिसका ती है व
जबरन सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा
है जो विधि विरुद्ध है अतः अपार्थी
से. 1 को जांच किया जावे की खल
बाड़ के फैसले तक खसरा से. 575
में स्वयं व अपने नुमाइन्दों द्वारा
अधिग्रहण न किया जावे व न ही
सड़क निर्माण का कार्य किया जावे।
वकील पार्थी की उपरोक्त बहस सुनी

अपार्थी से. 1 व 2 के जवाब का
अवलोकन किया गया सिने यह
स्पष्ट है की अपार्थी के खातेपारी
एक के खसरा से. 575 ग्राम
धामसरा में जो के पार काफी पुराना
रास्ता बना हुआ है परन्तु वह



रास्ता बना हुआ है परन्तु वह
रास्ता बना हुआ है परन्तु वह

अपार्थी सं. 01 ने अपने जवाब में यह
कहा गया है कि पार्थी की भूमि पर
कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है
परन्तु गौरी पर मौजूद डामर सड़क
का कोई चौड़ाईकरण नहीं किया जा
रहा है सिर्फ मौजूद सड़क का नवीनीकरण
ही किया जा रहा है।

वकील पार्थी की बहम व अपार्थीग
के जवाब में यह स्पष्ट है कि खसरा नं.
575 ग्राम थायसरा पार्थी की खानेदारी
हक की खाति भूमि है जिसके रातख रिकार्ड
में वास्ता पत्र नहीं है परन्तु गौरी पर
पुराना रास्ता पत्र है जिसका नवीनीकरण
किया जा रहा है।

अतः आदेशित किया जाता है कि
अपार्थी सं. 1 पार्थी की खानेदारी
हक की खाति भूमि खसरा नं. 575
ग्राम थायसरा में मौजूद डामर सड़क
में बाहर कोई नवीनीकरण कार्य न
करे व न ही पार्थी की बाड़ को
गल्ट या अव्यवस्थित करे व गौरी में
कोई जबरदस्त न करे क्योंकि पार्थी
के पास में प्रथम पुण्यता: भागला
बनता है व अगर अपार्थी ने
अन्यथा सड़क निर्माण किया तो





प्राप्ति को irreparable loss
होगा व Balance of Convenience
भी प्राप्ति के पक्ष में है क्योंकि
उपरोक्त शस्त्रा राजस्व रिकार्ड में
दर्ज नहीं है।

पतावली पं. बाल कुमार है
मूल पतावली के साथ संलग्न है।



(u)
[Signature]

614/23

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)